

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2010

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1632 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु0 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314 / दस-59 (एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर-4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

- (2) (i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे :-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान / सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान / ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर

उच्चिकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चिकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चिकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरान्णयनमाना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरान्णयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरान्णयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरान्णयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरान्णयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन

वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर पारिवीक्षा अवधि (Probation Period) सतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होंगी।

- (5) वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रारिथ्यति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।
- (6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरान्तरण के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्काल में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरान्तरण पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरान्तरण वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरान्तरण की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान, अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्वयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अंतर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरान्वयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे —

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना

में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 / - तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान / सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर-2(i) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान / सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान / सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) स्वर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी :- उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध हैं।

3- पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जा की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत को लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जा हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे —

- (1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नान फंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय

वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4— वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

5— (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्कीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्कीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्कीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीनिंग कमेटी

की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6- ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7- ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1632/दस-59(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनजील सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-वे0आ-2- (1)/दस-62एम/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरोद्व वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चैक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 04 मई, 2010
का संलग्नक

उदाहरण-1

वेतनमान रु0 4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) का संशोधित / उच्चिकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन / उच्चिकरण के दिनांक से संशोधित / उच्चिकृत वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(I) :-

वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य होगा।

Rw

उदाहरण-2(II)

इसी प्रकार वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्कम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।



शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010
का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय
स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

- (1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु0 103.00 पर की जायेगी।
- (2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

वर्तमान वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैंड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन

के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णय यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरान्णय किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्णय यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।



शासनादेश दि० 04.05.2010 के अनुसार सुनिश्चित कैरियर

प्रोन्नयन (ACP) के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोंनयन में

वेतन निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु

1. ACP की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही दिनांक 01.12.2008 से लागू की गयी है।
2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01.01.2006 से 30.11.2008 तक पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी।
3. (क) पूर्व व्यवस्था का आशय है कि जिन कर्मियों को दि० 01.01.2006 से 30.11.2008 के मध्य 8 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा पर पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका था, उन कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी उस तिथि को 3 प्रतिशत की दर से एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। (शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 2 (1) के अनुसार)।

(ख) जिन कर्मियों को दि० 01.01.2006 से 30.11.2008 के मध्य 14 वर्ष या 24 वर्ष की सेवा पर पुराने वेतनमान में प्रथम/द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान का लाभ स्वीकृत हो चुका है, उन कर्मियों को उस तिथि को प्रथम/द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा अर्थात् (प्रोन्नति वेतनमान का ग्रेड वेतन-वर्तमान ग्रेड वेतन)। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 2 (1) (2) के अनुसार।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि 14/24 वर्ष की सेवा पर देय ग्रेड वेतन तथा निम्न ग्रेड वेतन का अन्तर निम्न ग्रेड वेतन तथा वैण्ड वेतन के एक वेतनवृद्धि से अधिक है तो पहली अगली जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी, भले ही पहली अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक 6 माह से

अधिक का अन्तराल हो जा रहा हो। यथा: किसी कर्मी का वेतन दिनांक 01.07.2007 को ग्रेड वेतन रू0 2000/- में रू0 10,480/- है और उसे दि0 01.01.2008 को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान में रू0 4200/- ग्रेड वेतन देय हो रहा है अर्थात् उसे रू0 2200/- का लाभ मिल रहा है तथा निम्न ग्रेड वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि रू0 320/- (10,480- पर 3 प्रतिशत की दर से एक वेतन वृद्धि) आगणित हो रही है, इसलिये दि0 01.01.2008 से 01.07.2008 तक 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर भी दि0 01.07.2008 की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी अर्थात् उसे अगली वेतनवृद्धि दि0 01.07.2009 से देय होगी।

4. ACP के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति (वेतनमान में नियुक्ति) की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होगा। (शासनादेश दि0 04.05.10 का प्रस्तर - 1 (2)(I))।

5. उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में पूर्व व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तथा 24 वर्ष की संतोषजनक सेवाओं पर अगले पद का वेतनमान अनुमन्य होता था, परन्तु शासन ने शासनादेश दि0 04.05.2010 द्वारा ACP के अन्तर्गत निर्धारित सेवावधि परदेय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अगले पद के ग्रेड वेतन के स्थान पर शासनादेश दि0 08.12.2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा, मले ही वह ग्रेड वेतन पुलिस विभाग के किसी पद का ग्रेड वेतन न हो। ACP के अन्तर्गत अगले पद का ग्रेड वेतन तभी अनुमन्य होगा, जब उस पद पर कर्मी की वास्तविक रूप से

पदोन्नति प्राप्त होगी। उदाहरणार्थ :- यदि किसी आरक्षी को रू0 1900/- का ग्रेड वेतन मिल रहा है, तो 10 वर्ष की सेवा पर देय प्रथम वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन रू0 2000/- तथा यदि किसी आरक्षी को रू0 2000/- का ग्रेड वेतन मिल रहा है तो अगला ग्रेड वेतन रू0 2400/- अनुमन्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी मुख्य आरक्षी (H.C.) को रू0 2000/- ग्रेड वेतन मिल रहा है तो अगला ग्रेड वेतन रू0 2400/- देय होगा। अर्थात् वर्तमान व्यवस्था में किसी भी आरक्षी/मुख्य आरक्षी को ACP के अन्तर्गत रू0 4200/- का ग्रेड वेतन देय नहीं होगा। जब आरक्षी/मुख्य आरक्षी उपनिरीक्षक पद पर वास्तविक रूप से प्रोन्नति पायेंगे, तभी उन्हें रू0 4200/- का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। (शासनादेश दि0 04.05.2010 का प्रस्तर -1(3)।

6. इसी प्रकार लिपिकीय शाखा के सहायक लिपिक (A.S.I.(M)) जो पुराने वेतनमान रू0 4000-6000/- में ग्रेड वेतन रू0 2400/- में कार्यरत हैं, उन्हें ACP के अन्तर्गत अगला ग्रेड वेतन रू0 2800/- देय होगा। जब इन (A.S.I.(M)) की वास्तविक प्रोन्नति SI(M) पद पर वास्तविक रूप से होगी, तब इन्हे ग्रेड वेतन रू0 4200/- देय होगा। SI(M) पद पर वास्तविक प्रोन्नति होने से पूर्व सहायक लिपिकों (A.S.I.(M)) को ग्रेड वेतन रू0 4200/- अनुमन्य ~~होगा~~ होगा। (शासनादेश दि0 04.05.2010 का प्रस्तर 1)।

7. किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चिकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चिकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी

सेवाओं को जोड़कर उच्चिकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।
(शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 1(2)(I)(क)।

8. दस वर्ष की सेवा पर देय प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के 8 वर्ष बाद द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के 8 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 1 (2) (ख)।

9. **ACP** की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् यदि किसी कर्मी को एक पदोन्नति मिल गयी है तो उसे द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त हो गयी है तो तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर -1 (2)(I)(ख)(v)।

10. यदि किसी कर्मी की प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा सीधी भर्ती के पद से कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 1 (2)(I)(ख) का परन्तु (I)।

11. यदि किसी कर्मी को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा दो पदोन्नति मिल गयी हो तो संबंधित पद पर रहते हुए द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन/द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय

स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 1

(2) (I) (ख) का परन्तु (I)।

12. संतोषजनक सेवा पूर्ण न करने के कारण यदि किसी कर्मी को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 1

(2) (I)(ख) का परन्तु (IV)।

13. समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 8 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए० सी० पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 3 (1)।

14. जिन कर्मियों को प्रथम प्रोन्नति वेतनमान 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा 01.12.2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा तथा पूर्व से अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 3 (2)।

15. जिन कर्मियों को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दि० 01.12.2008 जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा तथा पूर्व से अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 3 (3)।

16. यदि किसी कर्मी की प्रोन्नति उसी ग्रेड वेतन में होती है, जो उसे समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त मिल रहा है तो संबंधित कर्मी का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतन वृद्धि देते हुए किया जायेगा तथा अगली सामान्य वेतन वृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 2 (2) का उपप्रस्तर (IV)।

17. वेतन बैंड रू० 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर भी समयमान वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा तथा बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा तथा यदि समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड में प्राप्त ग्रेड वेतन निम्न ग्रेड वेतन के एक वेतन वृद्धि से अधिक का होगा तो अगली पहली जुलाई को देय वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर 2 (2) का उपप्रस्तर (III)।

18. यदि किसी पद का प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चिकृत होता है, तो ही उन मामलों में संलग्नक-1 पर उपलब्ध उदाहरण लागू होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना उचित होगा:-

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए० सी० पी० की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरानुमन्य होने पर संबंधित कर्मी का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22बी (1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा अर्थात् उसे अगला ग्रेड वेतन तथा 3 प्रतिशत की दर

से एक वेतन वृद्धि भी प्रदान की जायेगी। शासनादेश दि० 04.05.2010 का संलग्नक-2)।

2. संबंधित कर्मों को ए० सी० पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम- 23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से अपना वेतन निर्धारित करवा सकता है। (संलग्नक-2)।

3. यदि कर्मों वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा तथा अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि० 1 जुलाई को कर्मों को दो वेतन वृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप देय होगी। (संलग्नक-2)।

4. इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन (निम्न ग्रेड वेतन+वेतन बैंड में वेतन) पर की जायेगी। अर्थात् अगली वेतन वृद्धि की तिथि को अगला ग्रेड वेतन तथा दो वेतन वृद्धि का लाभ देकर वेतन पुनर्निर्धारित होगा। (संलग्नक-2)।

5. यदि किसी कर्मों को वित्तीय स्तरान्तरण किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक देय होता है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। (संलग्नक-2)।

6. यदि किसी कर्मों को वित्तीय स्तरान्तरण किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि उस वर्ष के स्थान पर अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी, परन्तु यदि किसी कर्मों ने 2 जनवरी से 30 जून तक वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने पर निम्न

ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प देता है, तो उसका वेतन अगली पहली जुलाई को ही पुर्ननिर्धारित होगा। (संलग्नक-2)।

7. किसी कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारित नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा। शासनादेश दि० 04.05.2010 का प्रस्तर-(4)।

8. ऐसे आरक्षी जो 24 वर्ष की सेवा पर रू० 4200/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अगला ग्रेड वेतन रू० 4600/- देय होगा। इसके बाद कोई अन्य वित्तीय स्तरान्णयन देय नहीं होगा।

9. ऐसे मुख्य आरक्षी जो 14/24 वर्ष की सेवा पर रू० 4200/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अगला ग्रेड वेतन रू० 4600/- देय होगा, परन्तु इसके बाद कोई अन्य वित्तीय स्तरान्णयन देय नहीं होगा।

10. ऐसे उपनिरीक्षक जो आरक्षी पद से प्रोन्नति होकर उ० नि० पद पर कार्यरत है और उ० नि० पद पर 24 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन रू० 5400/- प्राप्त कर रहे हों, उन्हें वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ देय नहीं होगा।

11. ऐसे एस० आई० (एम०) जो ए० एस० आई० (एम०) पद से प्रोन्नति होकर एस० आई० (एम०) पद पर 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर रू० 5400/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ए० सी० पी० का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. एस0 आई0 (एम0)/उपनिरीक्षक/निरीक्षक/ए0 एस0 आई0 (एम0) जो वैयक्तिक/मूल रूप से रू0 4600/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अगला ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य होगा।

13. ऐसे निरीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक/दलनायक/शिविरपाल जो आरक्षी पद से प्रोन्नति होकर उक्त पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें ए0 सी0 पी0 व्यवस्था का लाभ देय नहीं है।

14. पुलिस उपाधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक पद धारकों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल महोदय हैं, इसलिए ए0 सी0 पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ इन अधिकारियों को शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा

15. ऐसे ^{सिद्धा शर्मा} उपनिरीक्षक जो 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान में रू0 5400/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के लाभ के रूप में ग्रेड वेतन रू0 6600/- अनुमन्य होगा।


16. ऐसे निरीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक/शिविरपाल/दलनायक जो उपनिरीक्षक पद से प्रोन्नति पाये हैं तथा निरीक्षक पद पर 14/24 वर्ष की सेवा पर रू0 5400/- ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ए0 सी0 पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत अगला ग्रेड वेतन रू0 6600/- देय होगा।

17. लिपिकीय शाखा के कर्मियों के सीधी भर्ती का आशय ए0 एस0 आई0 (एम0) पद पर नियमित वेतनमान में नियुक्ति तिथि से आगणित किया जायेगा।

18. उ0 नि0/आरक्षी/मुख्य आरक्षी पद धारकों के सीधी भर्ती का आशय प्रशिक्षण के उपरांत नियमित वेतनमान में नियुक्ति तिथि से आगणित किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि को ए0 सी0 पी0 के अन्तर्गत देय लाभों हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा।

19- ऐसे उपनिरीक्षक, जो कानस0 पद से सीधे परीक्षा उत्तीर्ण करके सीधी भर्ती के सन्दर्भ में उपनिरीक्षक पद पर पदनियुक्त हुये हैं, उनके सीधी भर्ती का पद उपनिरीक्षक माना जाएगा।

उपरोक्तानुसार सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो संबंधित जनपद/वाहिनी/इकाई की सामान्य सम्प्रेक्षा के दौरान शासनादेश संख्या-सा-3-278/ दस-07-101 (6)/05 दिनांक 07.05.2007 में दिये गये व्यवस्था के अनुसार पुलिस मुख्यालय की सम्प्रेक्षा पार्टी से मार्गदर्शन प्राप्त करके संबंधित कठिनाई को दूर की जा सकती है।


10.8.10

वित्त नियंत्रक

उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

अ0शा0 पत्र संख्या-21-5(कार्यशाला)10-11

दिनांक: इलाहाबाद:अगस्त 10, 2010